20-12-18 महाशयजी पेश हुई प्रार्थना पत्र की
पंचायत समिति व पंचायत समिति के
नाम पर आवंटित भूखण्ड नहीं है।
कोई रजिस्ट्री नहीं। प्रार्थना पत्र का
मूल्य कर भी अदम हाजरी व अदम
पेरवी में खारिज होने से प्रार्थना पत्र
पर कार्यवाही उचित नहीं है। अतः
प्रार्थना पत्र भी इसी स्टेज पर खारिज
किया जाता है।
फरियादी ऐतराज में कुछ कहना
चाहते हैं क्या है।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा, मु. धम्बोला

Scanned by CamScanner